न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 159 /2020

प्रार्थीनी :-

1 वासुदेव पुत्र जगदीश प्रसाद जाति खारवाल निवासी पचपदरा

बनाम

विप्रार्थी :-. 1. हडमान पुत्र गिरधारीलाल
2..गोबरराम पुत्र प्रतापराम
3.ढलाराम पुत्र हीराराम जाति घांची
4. त्रिलोकसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपुत निवासी थवा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

'आदेश'

दिनांक :–27.10.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आ.टी.ए के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण का ग्राम पचपदरा की के खसरा 1451/1052 रकबा 01 बीघा का खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार खसरा संख्या 1452/1052 विप्रार्थी संख्या 01 के नाम, खसरा संख्या 1450/1052 विप्रार्थी संख्या 02 के नाम, खसरा संख्या 1449/1052 विप्रार्थी संख्या 03 के नाम एवं खसरा संख्या 1221/1052 विप्रार्थी संख्या 04 के नाम दर्ज है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व नक्शे की प्रतिलिपि आवलोकनार्थ संलग्न है। एक्त समस्त खसरा संख्या 1212/1052 से व्युत्पन हुई जो प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा जरिये पंजियन दस्तावेज कुल 05 बीघा रकबा मे से 1–1 बीघा प्रतयेक ने क्रय की थी जिनका जरिए नामान्तकरण संख्या 1485 राजस्व रेकर्ड में अंकन किया है। उक्त खसरा नम्बरन की नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम हमारे कब्जा मुताबिक करके त्रुटिपूर्ण होने से संलग्न नक्शा अनुसार रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया है ।

हमने पक्षकारान को सुना पत्रावली में संलग्न आंशिक नकल नक्शा किश्तवार ,सहमति पत्र,जमावन्दी सवत :– 2070–2073 अवलोकन व अध्ययन किया गया है । प्रार्थी व विप्रार्थीगण के आपसी सहमति से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि संलग्न संशोधित नक्शा अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त कर रेकर्ड दुरूस्त करे । संलग्न संशोधित नक्शा आदेश हिस्सा होगा।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner